

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ,  
प्रतापगढ़ (राज.)**

परिवाद संख्या 39/2024

तारीख दायर 01.05.2024

पीठासीन अधिकारी:-विनय पाठक, आरएएस



श्री सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री अंकित जैन पुत्र श्री गट्टू लाल जैन, मैसर्स पारसनाथ किराणा स्टोर, मुंगाणा जिला प्रतापगढ़  
- अप्रार्थी

**:-आदेश:-**

दिनांक 24/05/2024

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड घी (महान ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.07.2023 को पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मै0 पारसनाथ किराणा स्टोर, मुंगाणा जिला प्रतापगढ़ पहुंचा, वहां पर घी (महान ब्राण्ड) की 500-500 एम एल के 9 पैक पैकेट रखे थे। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसने अपना नाम अंकित जैन पुत्र श्री

गट्टूलाल जैन बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा गया जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे घी (महान ब्राण्ड) पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 भरकर दिया गया और बताया गया कि उक्त का एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त घी (महान ब्राण्ड) पैकेट में से 4 पैक पैकेट वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 1200/-रु नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।



यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 सीलड पैकेट घी (महान ब्राण्ड) 500 एम एल पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर एक-एक कर चिपकाये जिस पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-1849 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए प्रत्येक नमूना डिब्बो पर लेबल चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक डिब्बों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोंद से चिपकाया गया। चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-1849 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये, विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज कौंस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर वह नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल की थी। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलडबन्द कर सीलड मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सीलड मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलड बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलड बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

9  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (महान ब्राण्ड) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त क्रम में फर्म के मालिक को फर्म सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सूचना दी गई। फर्म के मालिक द्वारा लायसेंस की छाया प्रति प्रस्तुत की।



अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री अंकित जैन को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित तथा प्रकरण में जवाब देने से मना किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2023/842 दिनांक 25.07.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा घी (महान ब्राण्ड)का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी के वहां दिनांक 12.07.2023 को उपलब्ध कुल माल 9 पैकेट की कुल कीमत 2700 रु की दस गुना शास्ति अर्थात (9X300X10) =27000/ रु अक्षरे सताईस हजार रु शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 24.05.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

9  
3  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।



9/24.5.24  
(विनय पाठक)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

दिनांक 24.05.2024

कमांक/रीडर/2024/ 162-64

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री अंकित जैन पुत्र श्री गट्टू लाल, मैसर्स पारसनाथ किराणा स्टोर, मूंगाणा

9/24.5.24  
(विनय पाठक)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़